



कार्यालय रतलाम विकास प्राधिकरण - रतलाम (म. प्र.)

क्रमांक / 644

रतलाम, दिनांक:-24 / 12 / 2019

:: // विज्ञप्ति // ::

मेडिकल कॉलेज के निकट श्री परशुराम विहार में आरक्षित वर्ग के आवासीय उपयोग के भूखण्ड लीज पर विक्रय हेतु निविदा आमंत्रण:-

सैलाना मुख्य मार्ग पर रतलाम विकास प्राधिकरण की श्री परशुराम विहार आवासीय योजना में निम्नानुसार आरक्षित वर्ग के भूखण्डों को 30 वर्ष की लीज पर विक्रय करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं, जिसमें सहभागिता हेतु एक्सिस बैंक लिमिटेड, डाट की पुल, रतलाम की शाखा से (बैंक कार्यावधि में) रुपये 590/- (जी0एस0टी0सहित) जमा कर बोली प्रपत्र क्रय किये जा सकते हैं। बोली प्रपत्र का विक्रय दिनांक 06/01/2020 से 15/01/2020 तक किया जावेगा जो अंतिम तिथि 16/01/2020 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय, हाथीखाना रोड़, रतलाम में जमा किये जा सकेंगे। प्राप्त बोलियाँ आगामी कार्यालयीन दिवस पर पूर्वाह्न 11.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेंगी।

भूखण्डों का विवरण:-

अ0क्र0	भूखण्ड क्रमांक	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूखण्डों / इकाईयों का आरक्षित मूल्य (प्रति वर्गमीटर)	भूखण्ड का मूल्य (रुपये)	वार्षिक लीजरेन्ट (रुपये)	प्रतिभूति (अमानत राशि) (रुपये)
01	02	03	04	05	06	07
01	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/लोकतंत्र सेनानी अथवा उनके पति या पत्नी हेतु					
01	04	271.20	12,000/-	32,54,400/-	11,119/-	3,25,440/-
02	24 (कॉर्नर)	233.56	12,000/-	30,82,992/-	9,576/-	3,08,299/-
03	43 (कॉर्नर)	131.87	12,000/-	17,40,684/-	5,407/-	1,74,068/-
04	150	111.75	12,000/-	13,41,000/-	4,582/-	1,34,100/-
05	72	90	12,000/-	10,80,000/-	3,690/-	1,08,000/-
06	135	94.40	12,000/-	11,32,800/-	3,870/-	1,13,280/-
07	141	92.625	12,000/-	11,11,500/-	3,798/-	1,11,150/-
08	287	72	12,000/-	8,64,000/-	2,952/-	86,400/-
09	E-60 (कॉर्नर) EWS	61.20	12,000/-	8,07,840/-	2,510/-	80,784/-
02	अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु					
10	56(बगीचा)	89.625	12,000/-	11,29,275/-	3,675/-	1,12,928/-
11	262	72	12,000/-	8,64,000/-	2,952/-	86,400/-
12	E-67 (कॉर्नर) EWS	56.385	12,000/-	7,44,282/-	2,312/-	74,428/-
13	E -70 EWS	32.22	12,000/-	3,86,640/-	1,321/-	38,664/-
14	E -71 EWS	32.22	12,000/-	3,86,640/-	1,321/-	38,664/-
15	E-73 EWS	32.22	12,000/-	3,86,640/-	1,321/-	38,664/-
03	बुद्धिजीवी, श्रमजीवी एवं पत्रकार वर्ग हेतु					
16	295	72	12,000/-	8,64,000/-	2,952/-	86,400/-
17	E-64 EWS	32.22	12,000/-	3,86,640/-	1,321/-	38,664/-

अन्य शर्त:-

1-बोली दाताओं को कालम क्रमांक-07 में उल्लेखित प्रतिभूति राशि अपनी बोली के साथ डिमान्ड डाफ्ट/बैंकर्स चैक के स्वरूप में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगी, अन्यथा प्राप्त बोली अमान्य कर दी जायेगी। 2-कॉर्नर के भूखण्ड हेतु प्रीमियम मूल्य का 10 प्रतिशत तथा कॉर्नर एवं पार्क (ओपन) के सामने के भूखण्ड हेतु 15 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देय होगी जो भूखण्ड के

मूल्य (कॉलम नं05) में सम्मिलित है। 3-बोली प्रस्ताव स्वीकृत होने की दशा में भूखण्ड के पेटे शेष राशि तीन माह की अवधि में जमा कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा बोली के साथ प्रस्तुत अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। 4-आरक्षित श्रेणी हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित सूची अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगे। 5- बोली दाता की ई0 डब्ल्यू0 एस श्रेणी के भूखण्ड हेतु अधिकतम वार्षिक आय रुपये 03.00 लाख होना आवश्यक है। (शासकीय/अर्द्धशासकीय,मण्डल/निगम/बैंक) आदि में कार्यरत कर्मचारी अपने नियोक्ता से तथा अन्य आवेदक सक्षम प्राधिकारी से जारी आय प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करें। 6-बोलीदाता की पति-पत्नी एवं अव्यस्क संतान के नाम पर रतलाम विकास प्राधिकरण,रतलाम में पूर्व में भूखण्ड/भवन हेतु न पंजीयन एवं न ही आवंटन होना चाहिये। 7-योजना के भूखण्डों सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्राधिकरण कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है, बोली स्वीकृति/अस्वीकृति एवं अन्य किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, रतलाम विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। 8-विस्तृत जानकारी शासकीय वेबसाइट ratlam.nic.in पर देखी जा सकती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
रतलाम विकास प्राधिकरण,
रतलाम